मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

– प्रेस विज्ञप्ति – **दिनांक 01.02.2016**

1. सहायक संचालक कृषि की परीक्षा दिनाक 24.05.2015 को आयोजित की गई थी । परीक्षा आयोजन के पश्चात् परीक्षा में आये प्रश्नों के संबंध में प्रावधिक उत्तर कुंजी दिनांक 28.05.2015 को प्रकाशित कर आपत्तियां प्राप्त की गई थी । आपत्तियों के निराकरण के पश्चात् दिनांक 23.07.2015 को आदर्श उत्तर कुंजी जारी की गई थी । जिसके आधार पर परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्याकंन कर दिनांक 5.8.2015 को परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था ।
2. श्री रमेश सिंह तोमर व्दारा उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 12823/2015 दायर की थी । इस याचिका में विचार उपरांत माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर व्दारा दिनांक 12.8.2015 को निर्णय पारित कर याचिका निरस्त कर दी और आदेशित किया किः–

   "In the circumstances, I am of the considered opinion that no direction can be issued to the respondent Public Service Commission to reconsider the model answers in the light of the objections filed by the petitioner on 3.7.2015 as prayed for by the petitioner in the petition,
   The petition, filed by the petitioner being misconceived is, accordingly, dismissed"

3. सहायक संचालक कृषि परीक्षा के अभ्यर्थियों की ओर से एवं स्वयं श्री रमेश सिंह तोमर व्दारा आयोग में दिनांक 17.08.2015, 27.08.2015, 27.01.2016 एवं 01.02.2016 को ज्ञापन प्रस्तुत किये गये। इन ज्ञापनों पर कंडिका–2 में माननीय उच्च न्यायालय व्दारा पारित निर्णय के अनुपालन में आयोग व्दारा यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त सभी अभ्यावेदनों को अमान्य किया जाए।
4. सहायक संचालक कृषि के पदों पर साक्षात्कार दिनांक 08.02.2016 से 23.02.2016 तक आयोजित किए गए है । चूँकि माननीय उच्च न्यायालय व्दारा चयन प्रक्रिया पर स्थगन नहीं दिया है । अतः आयोग ने साक्षात्कार कराने का निर्णय लिया है।

परीक्षा नियंत्रक